


यू.ओ.नोट

विषय: सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपरोक्त विषयान्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-10 क्षेत्राधिकार में स्थित हैरिटेज सिटी की रोडो/चौपडो में आरही भूमि की सार्वजनिक सूचना संलग्न कर प्रकाशन कराये जाने हेतु संलग्न कर आपको प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन-10)
जो-10
जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1605
दिनांक: 04/8/23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1606

दिनांक 04/07/23

सार्वजनिक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण में जोन-10 क्षेत्राधिकार में स्थित न्यू हेरिटेज सिटी की 36 मीटर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम खोरी रोपाड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 200 रकबा 0.6500 हैक्टेयर में हिस्सा 263/1500 व खसरा नम्बर 201 रकबा 0.3100 हैक्टेयर में हिस्सा 2/5 के खातेदार/खातेदारो/वारिसान मैसर्स किरनफाईन डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नरेन्द्र सिंह लक्ष्मण सिंह राठौड़ पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह रावतसिंह राठौड़ द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत है।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-10 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयबाध के पश्चात यदि कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1939

दिनांक 02-8-23

सार्वजनिक सूचना


आवेदक अध्यक्ष शांति विहार विकास समिति, शिवदासपुरा, चाकसू, जयपुर द्वारा ग्राम शिवदासपुरा, तह. चाकसू के खसरा नम्बर 58 रकबा 0.25 हैक्टेयर अर्थात् 2500 व.मी. भूमि की सुओमोटो के अन्तर्गत 90ए आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदक द्वारा जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान के स्वामित्व संबंधी अथवा न्यायिक वाद/विवाद होने संबंधी किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, जोन-14, जविप्रा में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे।


उपायुक्त/उपायुक्त जोन-14 अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. अध्यक्ष शांति विहार विकास समिति, शिवदासपुरा, चाकसू, जयपुर, राजस्थान को प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त/उपायुक्त जोन-14 अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1574

दिनांक 31/01/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेवारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री संदीप सिंह दिल्लो पुत्र श्री नत्था सिंह दिल्लो	श्री संदीप सिंह दिल्लो पुत्र श्री नत्था सिंह दिल्लो	बी-13, बी- 17	आवासीय	हनुमान नगर- बी (मोती भवन गृ.नि.स.स.)	750.00 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/सुपा. जोन-8/2023/डी-2042

दिनांक 21/8/2023

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. (व०ग. में)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/ज विप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री भवानी शंकर माहेश्वरी पुत्र स्व० श्री किशन लाल चौधरी	श्री लालाराम शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा	सी के-4	138.88	निजी खातेदारी	नारायण विहार के ब्लॉक	फ्री होल्ड	मृत्यु उपरान्त रजि० हकत्याग होने से।
2	श्रीमती विभला देवी चौहान पत्नी स्व० श्री मोहन लाल चौहान	श्री मोहन लाल रौनी पुत्र श्री बोदूराम सैनी	112ए	156.44	बंधु गृ.नि.स.स.	सचिवालय विहार स्कीम नम्बर 27	फ्री होल्ड	मृत्यु उपरान्त रजि० हकत्याग होने से।
3	श्रीमती सायर देवी पत्नी श्री रामू	श्री बजारग लाल जी बलाई पुत्र श्री रागदेव जी	40	200	लुनियावास गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर	फ्री होल्ड	जोन में उपलब्ध सदस्यता सूची में आवेदक का नाम अंकित नहीं होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जान सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीसीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8318) फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी-1674

दिनांक 14.03.2023

विज्ञापित / सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड (पट्टा विलेख) जारी करने हेतु ऑफलाइन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड (पट्टा विलेख) जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक/आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-419	न्यु पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सिद्धार्थ नगर-ए	श्रीमती गीता अग्रवाल पत्नी श्री नवीन अग्रवाल	श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री मोहन लाल	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद एवं सोसाईटी के आवंटन पत्र के पिछे हस्तान्तरण व मूल दस्तावेज गुम हो जाने के आधार पर।
2	28	दी राजहंस को ओपरेटिव हॉ. सोसाईटी लि. की योजना स्कीम नम्बर-5	श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री रामनिवास	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद एवं सोसाईटी के आवंटन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के आधार पर।
3	40(पुराना), 45(नया)	इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना चन्द्रकला कालोनी	श्रीमती विमला रोहडिया पत्नी श्री निर्मल सिंह	श्री राम किशोर नागर पुत्र श्री चौथमल नागर	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद एवं सोसाईटी के आवंटन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा व शपथ पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा.जयपुर

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञापित को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा.जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी- 2503

दिनांक

2503

04-08-23

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- बस्सीसीतारामपुरा-बी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना
स्कीम-03 की सदस्य सूची के प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बस्सीसीतारामपुरा-बी गृह निर्माण सहकारी
समिति की योजना स्कीम-03 की नियमन हेतु की सदस्यता सूची का प्रकाशन
करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : सदस्यता सूची।

उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर जोन-06
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

प्रताप नगर मुरलीपुरा विकास समिति 92

सिन्धु नगर, प्रताप नगर चौराहा, मुरलीपुरा गांव जयपुर-23

कार्यालय : गणपति विद्या निकेतन सी.सै. स्कूल 272
प्रताप नगर चौराहा मुरलीपुरा, जयपुर-23 फोन-2230257

संरक्षक

श्री महेश कुमार गोयल
9928818553

अध्यक्ष

श्री रामसिंह चौधरी
91412235394

उपाध्यक्ष

श्री शंकर लाल शर्मा
9829748184

उपाध्यक्ष

श्री फूल सिंह चौधरी
9314519683

महासचिव

श्री मुकेश गुर्जर
9950761943

उपसचिव

श्री राम बिहारी शर्मा
9772201432

कोषाध्यक्ष

श्री दीपक अग्रवाल
9799083430

संगठन सचिव

श्री मनोज शर्मा
9784361260

प्रचार सचिव

श्री बजवारी लाल सैनी
9799834770

विधि सचिव

श्री राजेश गुर्जर
9782627356

क.सं.

दिनांक :

बस्सी सीतारामपुरा "बी" भवन निर्माण सहकारी समिति लि0

रजि. नं. 2773/एल जयपुर स्थापित-1973

स्कीम-3 सदस्यों की सूची

क.सं.	मालिक का नाम	भूखण्ड संख्या
1	श्री प्रभुलाल गुर्जर पुत्र श्री नारायण लाल	ए-1
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा	ए-2
3	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री भागचन्द शर्मा	3
4	श्री हीरालाल सैनी पुत्र श्री जगन्प्रसाद	4
5	श्रीमती सम्पति देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द शर्मा	5
6	श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश	6
7	श्री नेमीचन्द जांगिड पुत्र बंशीधर	7
8	श्रीमती कमला शाडिल्य पत्नी श्री बाबूलाल शर्मा	8
9	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री कैलाश सहाय	9
10	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री घासीलाल	10
11	श्रीमती कमला देवी शर्मा पत्नी श्री रामप्रसाद	11
12	श्रीमती सम्पति देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द शर्मा	12
13	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सोभाग्य चन्द जांगिड	1
14	श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्री रामसिंह	1-ए
15	श्री प्रभुदयाल शर्मा पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद	2

वास्ते प्रताप नगर मुरलीपुरा विकास समिति

वास्ते प्रताप नगर मुरलीपुरा विकास समिति

Ramchandra
अध्यक्ष

[Signature]
सचिव

जयपुर-6
जयपुर विकास समिति
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी- 250 6

दिनांक..... 4-8-23

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन-06
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या 2506

दिनांक 4.8.23

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री लक्ष्मीनारायणपुरी गृ.नि.स.स की योजना फक्ट्री एरिया रोड ख.न. 1048 के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिघृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिघृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा तह जयपुर	1048	0.5438 हेक्ट	अरुण कुमार पुत्र तुलसीराम हि. 1/2, नरेन्द्र कुमार पुत्र तुलसीराम हि. 1/2 जयपुर खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविधि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापि प्रकाशन के 15 दिवस में कगरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 4.8.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा / जोन-06 / उपा. / डी- 2505

दिनांक 04-8-23

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने
बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना
का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का
श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

~~उपायुक्त जोन-06~~
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141)-सम्बंधित कार्यालय; ईपीबीएक्स - (+91-141)-2569696 एक्सटेंशन; (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स - (+91-141)-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....**2505**.....

दिनांक.....**4.8.23**.....

लोक सूचना

अधोहरताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गु.नि.स.स** की योजना **गणेश नगर-6 एवं 6ए प्रथम** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तांतरितों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अग्निधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अग्निधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
नांगल जैसा बीहरी तह जयपुर	731	0.03035 है.	कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द हि. 1/24, कागा पुत्र गोपी हि. 1/16, चौथी पत्नी गोपाललाल हि. 1/36, नृसिंह पुत्र चौधू हि. 1/48, नाथूलाल सैनी पुत्र स्व. श्री कृष्ण सैनी हि. 1/24, नारंगी देवी पुत्री गणेश हि. 1/24, प्रभु पुत्र महादेव हि. 1/12, बंदी पुत्र चौधू हि. 1/48, गंगल्या पुत्र चौधू हि. 1/48, मोहरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी हि. 1/36, रुडा पुत्र गणेश हि. 1/4, राजू देवी पुत्र गणेश हि. 1/24, रामचन्द्र सैनी पुत्र स्व. श्री कृष्ण सैनी हि. 1/24 लालचन्द पुत्र मूलचन्द हि. 1/24 श्री नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी हि. 1/36 सुखा पुत्र गोपी हि. 1/16, सुवा पुत्र चौधू हि. 1/48 सुखा पुत्र गु. गोविन्दा हि. 1/8 जाति माली सादेह खातेदार
	713	1.6567 है.	कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द हि. 1/9, छोटीदेवी पुत्री कल्याण हि. 1/225, चौथी देवी पत्नी गोपाललाल हि. 2/27, जयनारायण पुत्र सुवालाल हि. 1/135, नरसी पुत्र चौधूराम हि. 1/45, नाथूलाल सैनी पुत्र स्व. श्री कृष्ण सैनी हि. 1/9 नारंगी देवी पुत्री गणेश हि. 1/18 बंदी पुत्र चौधूराम हि. 1/45 बरदी पत्नी स्व. श्री सुवालाल हि. 1/135, बाबूलाल पुत्र प्रभु हि. 1/27, गंगला पुत्र चौधूराम हि. 1/45 मदन पुत्र प्रभु हि. 1/27, मीरा देवी पुत्री कल्याण हि. 1/225, मोहरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 2/27, राजू देवी पुत्री गणेश हि. 1/18, राधेश्याम पुत्र प्रभु हि. 1/27, रामचन्द्र सैनी पुत्र स्व. श्री कृष्ण हि. 1/9 रामनारायण पुत्र कल्याण हि. 1/225, लालचन्द पुत्र कल्याण हि. 1/225 लालचन्द पुत्र मूलचन्द हि. 1/9, श्रवण कुमार पुत्र कल्याण हि. 1/225, श्री नारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण हि. 2/27, मोहनलाल पुत्र सुवालाल हि. 1/135 जाति माली सादेह खातेदार
	714	0.4047 है.	

प्रशासन शाहरी के रांग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)-अवि/अभियान/2021/गंगाज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष के विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा नं. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....**4.8.2023**.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्राओं से जारी किया गया।


 प्राधिकृत अधिकारी एवं उपरोक्त
 जयपुर नगरपालिका, जयपुर
 जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी- 2504

दिनांक 04-8-23

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- निजी खातेदारी की योजना न्यू कॉलोनी की सदस्य सूची के प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी खातेदारी की योजना न्यू कॉलोनी की नियमन हेतु की सदस्यता सूची का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : सदस्यता सूची।

उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर। विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

प्रताप नगर विकास समिति

5बी, सूरज भवन, न्यू कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा,
जयपुर - 302012 (राजस्थान)

क्रमांक :

निजी-स्वाते वारी-न्यू कॉलोनी
अध्यतन सदस्य सूची

दिनांक 21.07.2023

ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर-12

खसरा नं. 710, तह. जयपुर

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गगज)	दिनांक
1	श्रीमती कचन देवी पत्नि श्री छीतरमल कूलवाल	11	246	11-04-1979
2	श्रीमती लक्ष्मी देवी साबू पत्नि श्री राजेन्द्र प्रसाद साबू	12	233	14-04-1987
3	अजय बोहरा	13	74.36	27-03-2002
4	सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री मोहन लाल छाबड़ा	13 A	72.88	27-03-2002
5	महेन्द्र पुत्र स्व. श्री मोहन लाल छाबड़ा	13 B	22.76	27-03-2002
6	अनिता माथुर पत्नी श्री रविन्द्र माथुर	13 C	50.00	27-03-2002
7	श्रीमती सुशीला देवी पत्नि स्व. श्री श्रीनारायण अग्रवाल	14 A	155	16-08-1985
8	श्री शम्भू दयाल गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर	14	200	12-12-1988
9	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बंशीधर शर्मा	14 B	101	04-02-1986
10	श्री रमेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री मंगलचन्द्र शर्मा	14 B	101	21-03-1986
11	श्रीमती तारामणी असावा पत्नि श्री कल्याणमल असावा	14 C	101	30-10-1991
12	श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री मूल सिंह	15	160	01-03-1979
13	श्रीमति रूकमणी देवी पत्नि श्री पुरूषोत्तमदास गुप्ता	16	155	11-01-1981
14	श्री गोपाल लाल लखेरा पुत्र श्री रामसहाय लखेरा	17	137	23-06-1993
15	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री सुरेश चन्द्र	17 A	75	10.06.2020
16	श्रीमती सुधा रावत पत्नी श्री मुरारी रावत	17 B	75	12.03.2022

अध्यक्ष

मंत्री

प्रताप नगर विकास समिति

5बी, सूरज भवन, न्यू कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा,
जयपुर - 302012 (राजस्थान)

क्रमांक :

मि. जी. खोते शरी

-2-

दिनांक 23.07.2023

अध्यतन सदस्य सूची

ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर-12

खसरा नं. 710, तह. जयपुर

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	दिनांक
17	श्रीमति कलावती देवी खूटेटा पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण खूटेटा	18	129	11-08-1981
18	श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री ब्रह्मानन्द रावत	19	204	09-07-1981
19	श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री ब्रह्मानन्द रावत	20	128	06-08-1981
20	श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री ब्रह्मानन्द रावत	21	304	
21	श्री पवन रावत पुत्र श्री ब्रह्मानन्द रावत	22	107	04-02-1980
22	श्री जसवंत कुमार पुत्र स्व. श्री मांगीलाल धानका	23	128	27-11-1990
23	श्री कजोड़मल पुत्र स्व. श्री पाचूराम	24		01-03-1979
24	श्री ताराचन्द पुत्र स्व. श्री पाचूराम	24 A		
25	श्रीमती चांद पत्नि स्व. श्री रामबाबू शर्मा	25	225	01-03-1979
26	श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद मेठी पुत्र श्री हरिप्रसाद मेठी	26	200	
27	श्री मन्नालाल शर्मा पुत्र घासीलाल शर्मा	20	533	11-11-1979

अध्यक्ष

मंत्री

प्रताप नगर विकास समिति

5बी, सूरज भवन, न्यू कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा,
जयपुर - 302012 (राजस्थान)

क्रमांक :

निजी खाते जारी
अध्यतन सदस्य सूची

दिनांक 21/02/2023

ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर-12

खसरा नं. 721 तह. जयपुर

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल	दिनांक
1	श्री भगवान सहाय लढ़ा / द्वारका प्रसाद लढ़ा	1	200	18-01-1986
2	श्री दीनानाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय शर्मा	2	200	03-02-1998
3	श्री दीनानाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय शर्मा	3	200	17-01-1978
4	श्री रवि शंकर शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	4	200	04-02-1980
5	हलिमा पत्नी स्व. श्री मो.हुसैन	5	200	10-12-1979
6	दिनेश शर्मा / महेश शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा	6	202	16-12-1977
7	जगदीश प्रसाद / मोहनलाल कोटिया पुत्र स्व. श्री आनन्दीलाल	7	198	17-12-1977
8	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण राजोरिया	8	98	20-08-1980
9	श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री भागीरथ जी	9	140	26-03-1982
10	शंकरलाल/गणेश/कैलाश/चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. श्री रामवरूप जी जांगिड़	10	140	17-01-1978
11	श्री सुरेश जी पुत्र स्व. श्री हरिनारायण गुप्ता	11	75	21-03-1978
12	दीपक / मनोज जांगिड़ पुत्र स्व. श्री रामनिवास जांगिड़	12	-	17-12-1979
13	श्री नवीन लाम्बा पुत्र श्री रामचन्द्र कुमावत	12 A	-	17-12-1979
14	श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री नानगराम कुमावत	13	102	17-12-1977

उप
जयपुर विक. अधिकार
जयपुर

अध्यक्ष

मंत्री

प्रताप नगर विकास समिति

5बी, सूरज भवन, न्यू कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा,
जयपुर - 302012 (राजस्थान)

क्रमांक :

निजी शक्ते वारी
अध्यतन सदस्य सूची

दिनांक 31.07.2023

ग्राम झोटवाड़ा, जयपुर-12

खसरा नं. 711, 712, 713 तह. जयपुर

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	दिनांक
1	श्री नन्दलाल कूलवाल पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल कूलवाल	1	242	11-04-1979
2	श्री दिनेश कूलवाल पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल कूलवाल	2	232	26-12-1980
3	श्री कैलाश कानूनगो पुत्र श्री माधोलाल कानूनगो	3	378	07-04-1979
4	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री बंशीधर शर्मा	4	150	19-07-1993
5	श्रीमती सूरज देवी पत्नि श्री रामप्रताप वर्मा	5	282	07-04-1979
6	श्री राजेश कुमार पचारिया पुत्र स्व. भूरेलाल पचारिया	6	378	07-04-1979
7	श्रीमती तीजा देवी पत्नी श्री रामप्रसाद शर्मा	7	213	04-02-1980
8	श्रीमती रतन देवी पत्नि श्री सत्यनारायण पारीक	7B	42	16-07-1992
9	श्रीमति मरियम बैगम पत्नि श्री इकरामुदीन	8	238	17-12-1986
10	श्री हनुमान सिंह, दलीप सिंह, किशन सिंह नाथावत पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह जी	8 B	115	18-06-1980
11	श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. कैलाश चन्द स्वामी	9 A	111	04-02-1980
12	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री भगवान सहाय	9D	150	04-02-1980
13	श्री सुवालाल पुत्र श्री मोरुराम	10	275	27-03-1979
14	श्रीमति सूरज देवी पत्नि श्री रामप्रताप वर्मा	27	180	07-12-1979

उपरोक्त सूची-6
जयपुर

अध्यक्ष

मंत्री

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: उपा./जोन-14/90ए/डी-2014

दिनांक:-04/08/2019

लोक सूचना

- श्री रूप नारायण मीणा पुत्र श्री लल्लू लाल मीणा जाति मीणा निवासी 262/717, कुम्भा मार्ग, एनआरआई कॉलोनी, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर।
श्री बद्री नारायण मीणा पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा जाति मीणा, निवासी चक बीड नं.1, बीड की ढाणी, बरखेड़ा जयपुर।
श्री गंगा सहाय मीणा पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, जाति मीणा, निवासी पांचुण्डा, बाडा पदमपुरा, जयपुर।
श्री रामेश्वर मीणा पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, जाति मीणा, निवासी पांचुण्डा, बाडा पदमपुरा, जयपुर।
श्रीमती कौशल्या मीणा पुत्री श्री घासी राम मीणा, जाति मीणा, जाति मीणा, निवासी, बाडा पदमपुरा, चाकसू, जयपुर।
श्रीमती काली देवी पत्नी श्री मंगला राम मीणा जाति मीणा, निवासी पांचुण्डा, बाडा पदमपुरा, जयपुर।
श्रीमती सुरज्ञानी पत्नी श्री घासी, चक शिवदासपुरा न.1, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
कौशल्या पुत्री श्री घासी, चक शिवदासपुरा न.1, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के संशोधित निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	चक शिवदासपुरा नं. 1, चाकसू (जयपुर)	रूप नारायण मीणा	252/1	100	0.01
2			251/2	300	0.03
3			254/288	50	0.005
4			253	100	0.01
5			254/278	50	0.005
6			234	500	0.05
7			235	600	0.06
8			236	1100	0.11
9			237	700	0.07
10			238	300	0.03
11			रूप नारायण, कौशल्या	241	600
12	पाचूंडा, चाकसू (जयपुर)	रूप नारायण मीणा	460	2500	0.25
13			461	1900	0.19
14			466	2100	0.21

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

15			469	100	0.01
16			470	800	0.08
17		रूप नारायण	471	700	0.07
18		मीणा एवं काली	472	1500	0.15
19			473	3000	0.3
20		रूप नारायण	474	1000	0.1
21		मीणा	475	1400	0.14
22			476	2700	0.27
23			477	300	0.03
24			478	1100	0.11
25			480	2800	0.28
26			481	4700	0.47
27			482	3300	0.33
28			483	1600	0.16
29			484	400	0.04
30			485	200	0.02
31			485/1	2300	0.23
32			418	2600	0.26
33	पांचुण्डा	गंगा सहाय, बट्टी नारायण, रामेश्वर	488	600	0.06
34	पांचुण्डा	रूप नारायण	494	400	0.04
35		मीणा, सुरज्ञानी,	495	1800	0.18
36		कौशलया	496	3400	0.34
37			500	900	0.09
38			501	300	0.03
39			502	800	0.08
40			503	900	0.09
			किता-40		5.05 हेक्टेयर

उक्त खसरो की सार्वजनिक सूचना दिनांक 29.08.2022 एवं 03.07.2018 को **मुख्यमंत्री जन आवास योजना** के लिए की गई थी जिनका 90ए/बी आदेश जारी हो चुका है। अब आवेदक द्वारा उक्त खसरो का मुख्यमंत्री जन आवास योजना से सामान्य **आवासीय प्रयोजन** चाहा है इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04/08/2023 को जारी की गयी।

—sd—

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-14 जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर